

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक प.3(117)सूप्रौ/लेखा/08/4183

जयपुर दिनांक : 09.11.11

जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर/भीलवाड़ा/उदयपुर/अजमेर/
बून्दी/चित्तौड़गढ़/धौलपुर/पाली।

विषय : जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित कार्मिकों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु वेतन भत्तों के लिये अतिरिक्त बजट आवंटन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु आदेश क्रमांक प3(117)सूप्रौ./लेखा/08/1355 दिनांक 11.04.2011 तथा आदेश क्रमांक 2829 दिनांक 9.08.2011 (पाली के लिए) के द्वारा बजट आवंटन किया गया था।

उक्त कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु वर्ष 2011-12 हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है।

मांग संख्या -35

बजट मद:-

3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

203-कम्प्यूटर सेवाएँ

(01)- निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से

[02]-जिला कार्यालय (आयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिला मुख्यालय	01- संवेतन	03- यात्रा व्यय	04- चिकित्सा व्यय	05- कार्यालय व्यय	योग
1	सवाई माधोपुर	3.26	-	-	-	3.26
2	भीलवाड़ा	-	0.025	0.03	-	0.055
3	उदयपुर	-	0.045	-	-	0.045
4	अजमेर	7.00	-	0.05	-	7.05
5	बून्दी	-	0.025	-	0.08	0.105
6	चित्तौड़गढ़	-	0.025	0.03	-	0.055
7	धौलपुर	-	0.025	0.03	0.05	0.105
8	पाली	-	0.025	0.03	-	0.055
	कुल	10.26	0.17	0.17	0.13	10.73

उक्त व्यय निम्नानुसार किया जायेगा:-

- व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- व्यय का समस्त रिकार्ड जिला स्तर पर संघारित किया जायेगा।
- अंकेक्षण व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा मांगे जाने पर समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
- मासिक व्यय की सूचना हर माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाये।

मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
- निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
- कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर/भीलवाड़ा/उदयपुर/बून्दी/चित्तौड़गढ़/धौलपुर/पाली।
- लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी